न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—82/2017/225 (2017/00082)

1. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल,
2. बलराम पुत्र दिलीपसिंह,
3. मूलीदेवी पत्नि सूरजकरण,
4. शांति पत्नि नारायण,
5. सोनूराम पुत्र नारायण,
6. चौथाराम पुत्र नारायण,

समस्त निवासी बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. चौथमल पुत्र घीसा जाति जाट,
2. श्रवण पुत्र पेमा जाति जाट,
3. श्रीमती मनभरदेवी पत्नि ताराचन्द, जाति जैन,
4. रामरतन पुत्र किशना जाति जाट,
5. श्रीमती उच्छब कंवर पत्नि गोपीसिंह, जाति राजपूत,
6. छगनसिंह पुत्र गोपीसिंह, जाति राजपूत,
7. दुर्गासिंह पुत्र गोपीसिंह, जाति राजपूत,
8. श्रीमती सम्पत कंवर पत्नि कानसिंह, जाति राजूपत,
9. श्रीमती सुनिता कंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत,
10. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नि सूरजपालसिंह, जाति राजपूत,

समस्त निवासी बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

11. अमरचंद पुत्र जीवण,
12. श्रीमती कमला पुत्र रणजीत,
13. बलराम पुत्र रणजीत,
14. पूजा पुत्री रणजीत,
15. सरोज पुत्री रणजीत,
16. काजोल पुत्री रणजीत,
17. सुखपाल पुत्र नारायण,
18. उद्धव पत्नि शंकर,
19. सुरेश पुत्र शंकर,
20. सतपाल पुत्र शंकर,
21. मधु पुत्री शंकर,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

22. पीरूसिंह पुत्र लादूसिंह,
23. जसवन्त पुत्र लादूसिंह,
24. भवानीसिंह पुत्र कानसिंह,
25. गोविन्द कंवर पत्नि मानसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।

रेस्पोडेंटस

27. गंगादेवी पत्नि दिलीपसिंह,
28. चेनाराम पुत्र दिलीपसिंह,
समस्त निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 7.10.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 24/2014.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3, 5 से 11, 17 से 22, 24 एवं 25.
3. रेस्पो0 संख्या 4, 12 से 16,23, 27 व 28 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 26.

निर्णय

दिनांकः– 24.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 7.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 तथा रेस्पो0 संख्या 5 के पति एवं 6 लगायत 10 के पिता गोपीसिंह ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुधवाड़ा तहसील पीसांगन के खाता नंबर नया 194 पुराना 202 के खसरा नंबर 2055/2859 व 2118 प्रार्थी संख्या 2 के खाता संख्या 689 व प्रार्थी संख्या 3 के खाता संख्या 246, 483 एवं प्रार्थी संख्या 4 के खाता संख्या 570 एवं प्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 के खाता संख्या 162 की आराजी स्थित है । प्रार्थीगण खसरा नंबर 2057/2967, 2059, 2057, 2058/2384 एव 2058 आदि खसरों में से वर्षो से आते–जाते रहे है, परन्तु अप्रार्थीगण ने वर्तमान में खंदक लगाकर प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिया है । प्रार्थीगण ने मौके पर अपने खेतों में आने जाने हेतु अन्य खातेदारों से एवं अप्रार्थीगण से विभिन्न खाता संख्या 246, 270, 271, 162, 434, 346, 143, 570, 629, 687, 622, 686, 481, 482, 483, 485, 690, 491, 247, 245, 597, 41, 621, 614, 631, 689, 603/208, 74,75, 244, 76, 551, 199, 552, 14, 183, 602 एवं 194 से आने जाने हेतु 30 फीट का मार्ग चाहा है जो कि अप्रार्थीगण द्वारा खंदक लगाकर रोक दिया है । इस कारण प्रार्थीगण को धारा 251–ए के तहत रास्ता दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये, तत्पश्चात् तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाबत् आदेशिका में अंकन किया । तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसरण में यह मानते हुए कि खसरा संख्या 2059, 2082, 2058, 2084, 2107/2858 एवं 2858/2384 के आंशिक हिस्से में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है एवं इसके आगे एक सारणी अंकित करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिये । अपीलांट शंकरलाल पुत्र भंवरलाल के खसरा नंबर 2214 में से

रास्ता दिया जाना अंकित किया गया है परन्तु अपीलांट शंकरलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया । इसी प्रकार अपीलांट दिलीपसिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2216 में से रास्ता दिया जाना लिखा गया किन्तु पक्षकार नहीं बनाया गया तथा खसरा संख्या 2144 जो अपीलांट मूलीदेवी के पति सूरजकरण के नाम है, तथा अपीलांट शांति, सोनूराम तथा चौथाराम के नाम अंकित है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये बिना खसरा नंबर 2144 के साथ–साथ खसरा संख्या 2216/2866 तथा 2215/2606 तथा 2215 में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया । इस कारण आदेश दिनांक 7.10.2016 की जानकारी होने पर उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 सहित पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2214, 2216, 2244, 2216/2866, 2215/2606 एवं 2215 में से रास्ता निकाले जाने बाबत् आदेश पारित किया गया है तथा प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, सुने जाने का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रार्थीगण की भूमि रास्ते हेतु अवाप्त करने का आदेश पारित किया गया है । इस कारण अधी0न्याया0 के आदेश से प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 7.10.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांटस की आराजियात में से भी रास्ते के आदेश दिये गये है किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में अपीलांटस को पक्षकार नियुक्त नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को तत्समय नहीं हो सकी थी। दिनांक 14.3.2017 को प्रार्थीगण की भूमि के बदले चैक देने की कार्यवाही की जाने लगी तथा गिरदावर द्वारा चैक लेने हेतु निवेदन किये जाने पर अपीलाधीन आदेश की प्रार्थीगण को जानकारी हुई । तत्पश्चात् आवश्यक प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनयी है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण संख्या 24/2014 की समस्त कार्यवाही अत्यन्त ही दुरभि संधिपूर्वक संपादित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जिन खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिया जा रहा है वे खातेदार प्रकरण में पक्षकार कायम किये गये है अथवा नहीं । आवश्यक पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना उसकी आराजियात में से रास्ते बाबत् पारित आदेश विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए को समुचित रूप से समझे बिना ही अस्पष्ट तथा विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र को दर्ज कर स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि धारा 251–ए एक–बी के तहत अभिधारियों के समूह के बारे में जो अंकन है, वह एक ही रास्ते में आगे से आगे जाने के लिए सामूहिक प्रार्थना पत्र के द्वारा निर्णित करने के संबंध में है । इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं लगाया जा सकता कि पृथक–पृथक दिशाओं में अंकित खेतों में पहुंचने हेतु चाहे गये रास्ते की भूमि अलग–अलग काश्तकारों की खातेदारी में अंकित हो, ऐसी परिस्थिति

में भी किसी एक आवेदन के जरिये निर्णय किया जा सकता हो, इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में जहां अलग–अलग दिशाओं में खेत स्थित है तथा चाहा गया रास्ता अलग–अलग है वहां पर एक ही आवेदन के जरिये कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि नजरी नक्शे के अनुसार काफी भूमि रास्ते में व्यर्थ की गई है। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट मनमाने तरीके से बनाई है । प्रत्यर्थी संख्या 4 रामरतन तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रवण द्वारा गोविन्द कंवर से भूमि खसरा संख्या 2059 रकबा 0.51 है0 क्रय कर ली है इसके बावजूद भी वह बतौर प्रार्थीगण प्रकरण में पक्षकार रहे है जबकि उनको किसी अनुतोष की आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 2058/2384 की भूमि प्रत्यर्थी अमरचंद, कमला, बलराम, पूजा, सरोज, काजोल, सुखपाल, उच्छब, सुरेश, सतपाल, मधु से असल प्रत्यर्थी संख्या 4 रामरतन तथा असल प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रवण ने अन्य 15 व्यक्तियों के साथ मिलकर पंजीकृत विलेख के माध्यम से निर्णय पारित करने से पूर्व ही क्रय कर ली थी इसके बावजूद भी विक्रेताओं को प्रकरण में पक्षकार अंकित रखते आदेश पारित करवाया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों को समझे बिना तहसीलदार की अविधिक रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । उक्त रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक, पिचोलिया ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आरायिजात में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 2059, 2058/2384, 2058/2862, 2861, 2109, 2110, 2114, 2215/2606, 2214, 2213, 2247, 2177, 2174, 2214/2609, 2214/2608, 2215, 2215/2606, 2115, 2116, 2117, 2118 में रास्ता है परन्तु रिकार्ड में दर्ज नहीं है । प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन हेतु 45 खसरों का कुल रकबा 0.9120 है0 भूमि की आवश्यकता है तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । रेस्पो0 को चाहे गये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना भी अंकित किया है । यही नहीं अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में खसरा नंबर 2060 रकबा 0.16 है0 गै0मु0चाह एवं अन्य खसरा नंबर 2059, 2082, 2058, 2084, 2107/2858 एवं 2058/2384 के आंशिक हिस्से में चाहा गया रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने से इन आराजियात में से रास्ता नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 को चाहा गये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुरूप अपीलाधीन संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई अनियिमतता नही है । अपीलांटस ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 को हेरान–परेशान करने की नियत से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांटस / प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2214, 2216, 2244, 2216 / 2866, 2215 / 2606 एवं 2215 में से रास्ता निकाले जाने बाबत् आदेश पारित किये रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम नहीं किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में तो अपीलांटस की आराजियात में रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जाने के बावजूद उसे प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रमाणित होता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है ।

10. अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 में कथन किया है कि अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे जिससे उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं हो सकी थी । अपीलांट का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि रेस्पो0 / प्रार्थीगण ने अपीलांटस को अधी0न्याया0 में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जबकि अपीलांटस की आराजियात में से रास्ता दिये जाने के आदेश अधी0न्याया0 द्वारा पारित किये गये है । अपीलांटस द्वारा विलंब के जो कारण बताये गये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट शंकरलाल पुत्र भंवरलाल खसरा संख्या 2214 का खातेदार है जिसमें से रास्ते कायम किये जाने के आदेश पारित किये गये है किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण / रेस्पो0 ने अपीलांट शंकरलाल को पक्षकार कायम नहीं किया है जबकि शंकरलाल प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । इसी प्रकार अपीलांट दिलपसिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2216 में से रास्ता दिया गया है किन्तु अपीलांट दिलीपसिंह को भी पक्षकार कायम नहीं किया गया है । खसरा संख्या 2144 की खातेदारी अपीलांट मूलीदेवी के पति सूरजकरण के नाम है तथा अपीलांट शांति, सोनूराम तथा चौथाराम के नाम अंकित है जिन्हें भी वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया है । खसरा संख्या 2216 / 2866 एवं 2215 / 2606 तथा 2215 के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधी0न्याया0 को चाहिये था जिन खातेदारों की भूमियों में से रास्ता दिया जा रहा है उन सभी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार नियुक्त कर उन्हें साक्ष्य, सुवनाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान का प्रार्थना पत्र को निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बाबत् उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उसके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष पारित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2016

निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस एवं अन्य हितबद्ध आवश्यक पक्षकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विवादित आराजियात में रास्ते के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर